

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 64/2020- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 31 अगस्त, 2020

सा. का.नि..... (अ)- सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23 अप्रैल, 2019, जिसे सा.का.नि. 322 (अ), दिनांक 23 अप्रैल, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तृतीय अनुच्छेद में, प्रथम परंतुक में, "अगस्त 2020 के 31वें दिन" अंकों और शब्दों के स्थान पर "अक्टूबर 2020 के 31वें दिन" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं.-सीबीईसी-20/06/07/2019-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)

निदेशक, भारत सरकार

नोट: मूल अधिसूचना सं. 21/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23 अप्रैल, 2019, सा.का.नि. 322 (अ), दिनांक 23 अप्रैल, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और पश्चातवर्ती अधिसूचना सं. 59/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 13 जुलाई, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 443(अ), तारीख 13 जुलाई, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना द्वारा अंतिम संशोधित की गई थी।